

Sec. 7.
10/12/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____ / of 2014

Gita Kumari Petitioner

Versus

The State of Bihar and Others Respondents

Sub: ~~Appointed~~ ~~Appointment matter~~ (Anganbadi Sevika) Selection matter
Civil Writ Matter. Non gazetted

INDEX

<u>S.No</u>		<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
01.		An application under Article 226 of the constitution of India with affidavit	1-26
02.	Annexure : 1 and 1/A	A photo copy / True type copy of Advertisement published in Hindustan daily news paper and apply form of the petitioner for the post of Anganbadi Sevika	27-29
03.	Annexure : 2	A photo copy / True type copy of 10 th marks sheet issued by secretary of Bihar Board, Patna	30
04.	Annexure : 3	A photo copy / True type copy of Intermediate marks sheet issued by secretary of Bihar Board, Patna	31
05.	Annexure : 4	A photo copy / True type copy of Affidavit shown by the petitioner.	32-33
06.	Annexure : 5	A photo copy / True type copy of residential certificate issued by Circle officer, Singheshwar, Madhepura	34
07.	Annexure : 6	A photo copy / True type copy of caste certificate issued by Circle officer, Singheshwar, Madhepura	35

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____ / of 2014

Gita Kumari Petitioner

Versus

The State of Bihar and Others Respondents

Synopsis

That petitioner of this writ application is being filed for grant of following relief or For Issuance of Writ/Writes, Order/Orders, Direction/Directions in the nature of Certiorari for quashing the impugned letter No. 415 dated 02/08/2014 Annexure - 9 issued by the Child Development Project officer, Singheshwar, District - Madhepura, whereby and where under the Private Respondent No. 8, has been appointed on the post of Anganbadi Sevika, Under Gram Panchayat Bhawanipur ward No. 3, and centre

		Anaganbadi Sevika at centre No. 43 under garam panchayat Bhawanipur, Ward no. 3 in which the petitioner has received the prapti receipt which is duly received and accepted the apply form on 24/06/2013
3.	27/02/2013	That on 27/02/2013 the Circle Officer, Singheshwar, District - Madhepura has issued the residential certificate in the name of the petitioner
4.	28/06/2013	That on 28/06/2013 the Circle Officer, Singheshwar, District - Madhepura has issued the caste certificate in the name of the petitioner
5.	12/07/2013	Final merit list prepared by the Respondent no. 5 i.e. the Child Development Project Officer, Singheshwar, Madhepura in which the name of the petitioner has appeared in the serial no. 1
6.	07/09/2013	The petitioner has come to know about the illegality, forgery, tempering committed by the respondent No. 5, 7 with the help of

6.	07/09/2013	The petitioner has come to know about the illegality, forgery, tempering committed by the respondent No. 5, 7 with the help of Private respondent No. 8, thereafter the petitioner immediately filed an application by way of the representation before the concern respondent on 07/09/2013 filed representation before the District Programme officer, Madhepura
7.	02/08/2014	The Child Development Project Officer, Singheshwar, Madhepura has issued the appointment letter in the name of Private Respondent No. 8
8.	29/08/2013	That petitioner has also filed an application before the District magistrate cum Collector, Madhepura through the representation stating inter alia therein that there is tempering committed by the concern respondent
9.	10/10/2013	Again That petitioner has also filed an application before the District magistrate

		cum Collector, Madhepura through the representation stating inter alia therein that there is tempering committed by the concern respondent
10.	21/11/2013	The petitioner has also file an application before the collector, Madhepura
11.	05/08/2014	The petitioner has also filed an application before the divisional commissioner through representation regarding the inquiry about the illegality of the respondent No. 5 and 7 during selection process.
12.	14/08/2014	In spite of several representation filed by the petitioner to the concern respondent but no action has been taken by the respondent authority, then The petitioner has file by way of complaint case before the Learned C.J.M., Madhepura
13.	24/06/2014	The petitioner has also shown an affidavit before the notary publics, Madhepura and given his declaration certificate through her affidavit shown by the petitioner

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(Civil writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No _____ / 2014

In the matter of an application

under Article 226 of The

Constitution of India.

Gita Kumari, Wife of Shyam Kumar Thakur, Resident of

village – Bhawanipur, Ward No. – 3, Block and P.S. –

Singheshwar, District – Madhepura Petitioner

Versus

1. The state of Bihar through the Secretary, Department

of Social and Welfare Government of Bihar, Patna

2. The Director (I.C.D.S.) Social and Welfare Department

Government of Bihar, Patna

3. The Divisional Commissioner, Koshi Division, Saharsa

cum Deputy Director cum Child Development Project

officer, Saharsa

4. The District Magistrate Cum Collector, Madhepura

5. The Child Development Project Officer, Singheshwar,

District - Madhepura

6. The District Programme Officer, Madhepura

7. The Mukhiya of under gram Panchayat Bhawanipur,

Block - Singheshwar, P.S. - Singheshwar, District -

Madhepura

8. Kumari Usha wife of Rajesh Kumar Roshan, resident of

village - Bhawanipur, under gram panchayat

Bhawanipur, Post office – Bhawanipur, Block –
Singheshwar, P.S. – Singheshwar, District – Madhepura

9. The Panchayat Samiti under gram panchayat
Bhawanipur, P.S. – Singheshwar, District - Madhepura

10. Ladies Supervisor, Under Gram Panchayat
Bhawanipur, P.S. – Singheshwar, District - Madhepura

.....Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, The
Chief Justice of The Hon'ble High Court of Judicature at, Patna
and her companion justice of the said Hon'ble Court.

The humble writ application on

Behalf of the above named Petitioner.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That petitioner in this case file this writ application
for grant of following relief:-

1
3

I. For Issuance of Writ/Writes, Order/Orders, Direction/Directions in the nature of Certiorari for quashing the impugned letter No. 415 dated 02/08/2014 Annexure - 10 issued by the Child Development Project officer, Singheshwar, District - Madhepura, whereby and where under the Private Respondent No. 8, has been appointed on the post of Anganbadi Sevika, Under Gram Panchayat Bhawanipur ward No. 3, and centre No. 43, whereas the petitioner being the bona fide candidate she has not been appointed by the concern respondent particularly the Respondent No. 5, While the name of the petitioner has been appeared in the final merit list at serial No. 1 of the obtaining higher marks and after committed irregularity during the course of selection process.

1
4

II. For further prayer of the petitioner in the writ petition during the pendency of the writ petition may kindly stay the impugned letter No. 415 dated 02/08/2014 vide Annexure - 10, issued by the child development project officer district - Madhepura.

III. For further prayer of the petitioner in the writ petition may kindly directed the respondent specially the respondent No. 5 the Child Development Officer, District - Madhepura, to immediately appointed the petitioner on the post of Anganbadi Sevika because the name of the petitioner has been appeared in the final merit list at serial No. 1 because the petitioner has obtained the higher marks in spite of that the petitioner has not been appointed.

IV. For further any other relief /reliefs, order/orders, direction/directions, may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

1
5

2. That the petitioner is citizen of India and the ordinary resident of district Madhepura within the territorial jurisdiction of this Hon'ble court and got right to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble court.
3. That the moot question of law beside other arises consideration of this Hon'ble court may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.
 - I. Whether the action of the respondent is not illegal mala fide and indiscriminating, so that the respondent No. 5 the Child Development Project Officer, Singheshwar as well as the Mukhiya of under gram panchayat Bhawanipur ward No. 3 Block - Singheshwar, District - Madhepura has invited the advertisement for appointment on the post of Anganbadi Sevika at min Anaganbadi centre particular the advertisement was published for the category in Backward Class, for appointment on the post of

6

Anganbadi Sevika, whereas the petitioner being the bona fide candidate apply for the said post on 24/06/2013, whereas the petitioner has received the receipt (Prapti Rasid) issued by the concern respondent.

- II. Whether the petitioner has been apply for the post of Anaganbadi Sevika under gram panchayat Bhawanipur ward No. 3 at mini centre No. 43, whereas the petitioner belonging to by cast of Backward Class and in the category of backward class the petitioner was apply for the said post. So far the total no. of population of backward class 214 whereas in O.B.C. class total No. of population 196 in which the policy decision has been taken by the concern respondent on the basis of the no. of population category wise, so far the petitioner belonging to in backward class category in which the petitioner was apply for the said post.

1
7

III. Whether the concern respondent after receive the apply form for the post of Anganbadi Sevika which is duly submitted by the candidate including the Petitioner in which the concern respondent particular the respondent No. 5 has prepared the merit list of all the candidate in which name of the candidate has been appeared in the top of the list being the bona fide candidate obtaining higher marks therefore the concern respondent during course of selection process committed serious irregularity with the help of other concern respondent and accordingly the private respondent No. 8 her name has been appeared in the merit gradation list as obtaining lesser marks, while the petitioner has obtaining higher marks in spite of that the petitioner has not been appointed by the concern respondent and private respondent No. 8 has appointed on the post of Anganbadi Sevika as such the

8

respondent concern has not committed serious illegality during selection processes, therefore the action of the respondent is not illegal, malafide and indiscriminating

IV. Whether the concern respondent has change the category of mini Anganbadi centre on the basis of fake report which is submitted by the panchayat samiti under gram panchayat Bhawanipur with the help of supervisor of the Anganbadi Sevika as such the action of the action of the respondent is not illegal?

V. Whether in the first merit list the name of the petitioner has been appeared on the top in the said merit list but due to malafide intention the concern respondent after took the bribe money from the private respondent No. 8 and accordingly the respondent no. 5, as well as the Respondent no. 7 have prepared the second Sarvakchan Report from the supervisor namely Alpana Kumari, she has submitted another verification

report with the help of the Respondent No. 5 i.e. Child Development Project Officer, Singheshwar, Madhepura and the second verification report has been prepared and ultimately declared the said post centre for the post of O.B.C. class only with a view to deleted the name of the petitioner in the first merit list she is belongs to category of backward class and advertisement was invited particular for backward class category and so far the petitioner has not paid the bribe money accordingly the private respondent no. 8 has been appointed as such the action of the respondent is not illegal?

VI. Whether the respondent No. 5 with the help of Anagnbadi Sevika Supervisor and the private respondent No. 8 they were manage the concern respondent and ultimately the category of backward class has been change for appointment on the post of

Anganbadi Sevika under gram panchayat Bhawanipur, Block - Singheshwar, District - Madhepura as such the concern respondent has committed serious illegality, in which the petitioner has filed a complaint case in the court of Learned C.J.M., Madhepura on 14/08/2014 under sections 341, 323, 417, 468, 161, 162, 120, 506/34 of the Indian Penal Code against the concern respondent including the respondent No. 5, 9 and 10 as such the petitioner being the bona fide candidate has not been appointed.

4. That the short fact of the case is the respondent No. 5 and 7 have invited through advertisement for the appointment on the post Anganbadi Sevika under gram panchayat Bhawanipur ward No. 3, Block - Singheshwar, District - Madhepura at mini Anganbadi Centre whereas the an advertisement was published particular for the backward class category because all together 214

population under backward category have been living under the mini Anganbadi centre whereas the O.B.C. class only 196 total No. of population living therefore on the basis of population the concern respondent have invited the advertisement for the post of Anaganbadi Sevika at centre No. 43

5. That the petitioner has belongs to in habitant of backward class category under gram panchayat Bhawanipur, ward no. 3, Block - Singheshwar, District - Madhepura, an advertisement was published in daily Hindustan News paper dated 16/06/2013 which was published by the office of district programme officer, Madhepura as well as the District Magistrate Cum Collector, Madhepura for appointment on the post of Anaganbadi Sevika with some statutory provision, whereas the petitioner has apply for the post of Anaganbadi Sevika at centre No. 43 under garam

panchayat Bhawanipur, Ward no. 3 in which the petitioner has received the prapti receipt which is duly received and accepted the apply form on 24/06/2013.

A photo copy / True typed copy of the Daily Hindustan News Paper Advertisement for the post of Anganbadi Sevika dated 16/06/2013 and apply form which is submitted by the petitioner are hereby annexed and marked as Annexure - 1 and 1/A to this writ application.

6. That at the time of apply the petitioner has also duly submitted her educational qualification certificate of Bihar School Examination Board, Patna regarding the petitioner has passed secondary school examination 2006 with fist

13

division obtaining 464 marks in secondary examination board.

A photo copy of the marks sheet issued by the Secretary, Bihar School Examination Board, Patna is hereby annexed and marked as Annexure - 2 to this writ petition.

7. That the petitioner has also passed out the intermediate examination in 2008 and aggregate marks obtained 440 and passed out with second division so far the Bihar School Examination Board, Patna had issued the intermediate marks sheet in the name of the petitioner

A photo copy of Intermediate marks sheet of Bihar School Examination Board, Patna 2008 is hereby annexed and marked

14

as Annexure - 3 to this writ
petition.

8. That the petitioner has also shown an affidavit before the notary publics, Madhepura and given his declaration certificate through her affidavit shown by the petitioner.

A photo copy / true typed copy
of the affidavit dated
24/06/2014 shown by the
petitioner is hereby annexed
and marked as Annexure - 4 to
this writ application.

9. That on 27/02/2013 the Circle Officer, Singheshwar, District - Madhepura has issued the residential certificate in the name of the petitioner.

A photo copy / true typed copy
of the residential certificate
dated 27/02/2013 issued by

15

the circle officer, Singheshwar,
District - Madhepura is hereby
annexed and marked as
Annexure - 5 to this writ
application.

10. That the Circle officer Singheshwar, District -
Madhepura has issued the caste certificate in the name of
the petitioner dated 28/06/2013 state that the petitioner
belonging to by caste of backward class category.

A photo copy / true typed copy
of caste certificate of the
petitioner issued by the circle
officer, Singheshwar, District -
Madhepura is hereby annexed
and marked as Annexure - 6 to
this writ application.

11. That the petitioner has also passed out the three degree Honours course Bachelor of arts (Honours Final) particular Psychology Honours in which the petitioner has obtaining higher marks aggregate marks 824 with first division the marks sheet issued by the B.N.Mandal university Lalu Nagar, Madhepura.

A photo copy / true typed copy of the marks Sheet of Bachelor of Arts (Honours Final) particular Psychology Honours issued by B.N.Mandal university Lalu Nagar, Madhepura is hereby annexed and marked as Annexure - 7 to this writ application.

17
12. That so far the petitioner has submitted her application form along with entire educational certificate

before the concern respondent in which the name of the petitioner appeared in serial No. 1 in the final merit list prepared by the respondent no. 5, i.e. The Child Development project Officer, Singheshwar, Madhepura.

A photo copy / True typed copy of Final merit list of dated 12/07/2013 prepared by the respondent no. 5, i.e. The Child Development project Officer, Singheshwar, Madhepura is hereby annexed and marked as Annexure - 8 to this writ application.

13. That while the petitioner came to know that her name has appeared on the top of the merit list in the mean time the Respondent No. 5 with the help of Respondent No. 7 asked the petitioner and demanded the

18

petitioner some bribe money, while the petitioner could not full-fill the bribe money accordingly the concern Respondent appointing authority who has manage the Respondent No. 9 and 10 and again made Sarvakshan (Verification) report through the Panchayat Samiti under gram panchayat Bhawanipur, in which the verification report as been changed after committed the forgery and tempering with official record and accordingly the Private Respondent No. 8 has been appointed on the post of Anganbadi Sevika, in which the child development project officer, Singheshwar District – Madhepura has issued the appointment letter in the name of the Private respondent No. 8 on 02/08/2014.

A photo copy / True typed copy
of the letter No. 415 dated
02/08/2014 issued by the
Respondent no. 5 is hereby

1
19

annexed and marked as
Annexure - 9 to this writ
application.

14. That while the Private Respondent No. 8 has been appointed and the petitioner has come to know about the illegality, forgery, tempering committed by the respondent No. 5, 7 with the help of Private respondent No. 8, thereafter the petitioner immediately filed an application by way of the representation before the concern respondent on 07/09/2013 filed representation before the District Programme officer, Madhepura.

A photo copy / true typed copy
of the representation dated
07/09/2013 before the District
Programme officer, Madhepura
is hereby annexed and marked

as Annexure - 10 to this writ application.

15. That on 29/08/2013 and 10/10/2013 the petitioner has also filed an application before the District magistrate cum Collector, Madhepura through the representation stating inter alia therein that there is tempering committed by the concern respondent.

A photo copy / true typed copy of the representation dated 29/08/2013 and 10/10/2013 before the District Magistrate Cum Collector, Madhepura are hereby annexed and marked as Annexure - 11 and 11/A to this write application.

16. That on 21/11/2013 the petitioner has also filed an application before the collector, Madhepura

A photo copy / true typed copy of the petition dated 21/11/2013 is hereby annexed and marked as Annexure - 12 to this writ application.

17. That lastly on 05/08/2014 the petitioner has also file an application through the representation before the divisional commissioner, Koshi Division, Saharsa praying for proper inquiry, The illegality committed by Respondent No. 5 and 7 during selection process of Anganbadi Sevika.

A photo copy / True typed copy of the Representation filed by the petitioner dated 05/08/2014 before the divisional commissioner, Koshi

1
22

Division, Saharsa is hereby
annexed and marked as
Annexure - 13 to this writ
application.

18. That in spite of several representations filed by the petitioner to the concern respondent did not taken any action in this regard then accordingly on 14/08/2014 the petitioner has filed by way of complaint case No. in the court of Learned C.J.M., Madhepura.

19. That there is no efficacious and ulterior remedy to the petitioner save and except to file this writ application for redressal of her grievances.

20. That earlier the petitioner has not moved before the Hon'ble court at any state in this regard as prayer made in paragraph - 1 of this writ petition against this present impugned order.

AFFIDAVIT

I am **Gita Kumari**, age about 24 years wife of **Shyam Kumar Thakur**, Resident of village - Bhawanipur ward No. - 3, P.S - Singheshwar, District - Madhubani, do hereby solemnly affirm and stated as follows :-

1. That I am sole petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of the petition have been read over and explained to me in Hindi which, I fully understood.
3. That the statement made in paragraph Nos. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 are true to my knowledge and those made in paragraph no. 1,2,3,4,15,16,17,18,19 are true to my information derived from the records of this case and rests are by way of submission in this Hon'ble Court.
4. That the annexure are photo / true copies of their respective originals.

29

Gita Kumari

g. v. k. by the deponent
 Ram Kumar A
 to Mr. Shakti K. Singh
 A.W.

R-11473/14

5/12/14

Ann-1

27

Ann-1

प्राप्ति रसीद

श्रीमती

श्रीमती सुकान्त, पी.एस.ओ. 3, कलकत्ता (श्रीमती सुकान्त)

अन्तर्गत

अ.ग.बोर्ड के तहत हेतु को देकर / सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रमा. से

अनुदान प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या

1/ (2010-08/12)

दिनांक

24/6/13

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

24/6/13

ए नै व स च र - 1

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती गीता कुमारी, वार्ड नं.3 भवानीपुर (मीनी केन्द्र) पंचायत के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसका प्राप्ति संख्या-01 (अनु0 07(सात)).

दिनांक-24.6.13

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

ह0-अस्पष्ट

24.6.13

24

09. स्थायी पता

ग्राम-पोस्ट -> मवानीपुर वार्ड नं-03
 शाना- सिंहेवर
 पिन कोड 852128
 जिला मधुपुरा राज्य बिहार

10. शैक्षिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय विषय	सत्र/वर्ष	उत्तीर्णता श्रेणी	संस्थान	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
प्रवेशिकोत्तीर्ण	HND, SNK, MAT SCI, SOCIAL-SCI DSC.	2006	प्रथम I	S.V.G.H.S. PRATAPGIANS	B.S.E.B. PATNA	464	66.28%
इन्टरमीडिएट / +2	HND, ENGI, POL-SCI, HIS PSYCHOLOGY	2008	द्वितीय II	F.C.F. ARARIA	B.S.I.E.B. PATNA	440	48.78%
स्नातक सामान्य प्रतिष्ठा							

11. उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिह्न :

बाँये हाथ पर त्रिल का निशान

12. महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य का अनुभव (यदि कोई हो तो) :

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : मवानीपुर.....

दिनांक 27/06/2013

आवेदिका का हस्ताक्षर : हिन्दी में

गीता कुमारी

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती से पंचायत अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर



BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, PATNA

MARKS SHEET OF SECONDARY SCHOOL EXAMINATION, 2006

S. No. 0131005

ANNUAL EXAMINATION

Ans-2 (30)

ROLL CODE	ROLL NO	NAME OF THE STUDENT									DATE OF BIRTH		
04210	0415	GITA KUMARI									16/01/90		
SCHOOL NAME → S V G H S PRATAPGANJ													
SUBJECT	LANGUAGE			MATH	SCIENCE								
	MIL	SIL	MATH		PHYSICS			CHEMISTRY			BIOLOGY		
	HND	SNK			THEORY	PR	TOTAL	THEORY	PR	TOTAL	THEORY	PR	TOTAL
FULL MARKS	100	100	100	45	05	50	45	05	50	45	05	50	
PASS MARKS	30	30	30	—	—	15	—	—	15	—	—	15	
MARKS OBTAINED	49	73	66	31	04	35	35	04	39	39	04	30	
SUBJECT	SOCIAL SCIENCE			COMPULSORY OPTIONAL				AGGREGATE	ENGLISH	RESULT			
	HIS	CIV	EED	DSC									
				THEORY	THEORY	PR	TOTAL						
FULL MARKS	50	50	50	100	70	30	100	700	100	1ST DIV : 420			
PASS MARKS	15	15	15	30	21	09	30	210	—	2ND DIV : 315			
MARKS OBTAINED	33	28	34	—	50	—	77	404	48	3RD DIV : 210			
										1ST. DIVN			

REG. NO. 0422/031/03606/05

गीता कुमारी

विनीतानन्द झा
SECRETARY

An-3

31

M.S. No. A202738



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, PATNA
अंक विवरणिका MARKS STATEMENT

इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2008 INTERMEDIATE EXAMINATION, 2008

नाम Name GITA KUMARI

पिता का नाम Father's Name NAGESHWAR THAKUR

महाविद्यालय College FARBISGANJ COLLEGE, FARBISGANJ, ARARIA

रोल कोड Roll Code 6505

अन्य रोल नं. Other Roll No 30049

सूची संख्या Enlistment No. 6505/R/0940/06 सहाय्य Faculty ARTS

विषय का नाम SUBJECT NAME	कुल अंक F.Marks	पास अंक P.Marks	प्राप्त अंक MARKS OBTAINED						
			प्रथम पत्र Paper-I	द्वितीय पत्र Paper-II	सै. कुल Th. Total	प्रायोगिक Practical	Reg. Th. Pr.	विषय का कुल अंक Subject Total	
1. अनिवार्य COMPULSORY: RASHTRA BHASHA HINDI	100	030	051		051				051
ENGLISH	200	060	036	032	068				068
2. ऐच्छिक OPTIONAL: POLITICAL SCIENCE	200	060	046	067	113				113
HISTORY	200	060	039	053	091				091
PSYCHOLOGY	200	060	060	057	117				117
3. अतिरिक्त ADDITIONAL:									
प्राप्तांक AGGREGATE MARKS: FOUR HUNDRED FORTY									440
परिणाम RESULT : 2ND DIVISION									


Dated: 28-05-2008

PATNA-800 001

गीता कुमारी

Anup K. Sinha
Secretary

NO - 1157 /
Date 24/6/13



समक्ष में,


नोटरी पब्लिक, मधेपुरा ।

शपथ-पत्र

मैं श्रीमती गीता कुमारी सौ श्याम कुमारी कुसाकिन - मकानीपुर, पोस्ट-
मकानीपुर, थाना-सिडेस्वर, जिला-मधेपुरा धर्म पूर्वक शपथ
करती हूँ कि मैं उपर्युक्त पते का स्थायी निवासी हूँ :-

॥१॥

कि मैं समाज कल्याण विभाग समेकित बाल विकास सेवा योजना में
सेविका पद हेतु ग्राम पंचायत मकानीपुर कार्ड-नं०-63 कि
आवेदिका हूँ ।



कि मेरा कोई जन प्रतिनिधी के रिश्तेदार सम्बन्धी नहीं हूँ । न ही
मेरा कोई सगा सम्बन्धी जन प्रतिनिधी नहीं है न ही वर्तमान में जन
प्रतिनिधि से कोई रिश्तेदारी है ।

॥३॥

कि मैं यह शपथ पत्र मार्ग दर्शिका 2011 के 4-B कंडका में कोई जन
प्रतिनिधी के रिश्तेदार सम्बन्धी नहीं होने के प्रमाण एवं सच्चाई को
प्रकट करने वास्ते बना रही हूँ ।

मैं पुनः घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त लिखी गई सारी
बातें मेरे निजी जानकारी से सत्य व सही है जिसे
पढ़कर व समझ कर अपना हस्ताक्षर बना दी ।


Grajendra Prasad
Adv.

गीता कुमारी
शपथकर्ता

I solemnly swear and declared before
me that the contents of this affidavit
is correct

Shashi Bhushan
NOTARY
REGD. NO. 1072
DIST. MADHEPURA

Grajendra Prasad
Adv.
24/6/13



11572 Date 24/6/13
समक्ष में,

नोटरी पब्लिक, मधेपुरा ।

शपथ-पत्र


मैं गीता कुमारी पति श्याम कुमार ठाकुर साकिन-अकनीपुर, पोस्ट-अकनीपुर, थाना सिंहरौरा, जिला-मधेपुरा धर्म पूर्वक शपथ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त पते का स्थायी निवासी हूँ :-

118

कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ ।

121

कि मैं समाज कल्याण विभाग समेकित बाल विकास सेवा योजना में से निम्न पद हेतु ग्राम पंचायत अकनीपुर डाउन-03 आवेदिका हूँ ।



कि मेरा कोई मधेपुरा जिला में पदस्थापित सरकारी सेवक रिश्तेदार/संबंधी नहीं है।

141

कि यह शपथ-पत्र मार्गदर्शिका 2011 के 4.9 कंडिका के सरकारी सेवक/अर्ह सरकारी सेवक से मेरा कोई रिश्तेदार या संबंधी नहीं होने के प्रमाण स्वस्थ शपथ-पत्र बना रही हूँ ।

मैं पुनः घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त लिखी गई सारी बातें मेरी निजी जानकारी से सत्य वो सही है जिसे पढ़कर वो समझकर अपना हस्ताक्षर बना दी ।

Grajendra prajada
17/6/13

गीता कुमारी
शपथकर्ता

पहचानकर्ता

Shashi Bhushan
NOTARY
REGD. NO. 1072 J
DISTT. MADHEPURA

Grajendra prajada
ओपनरता । 24/6/13

47-5

34



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म-XIII

कार्यालय का नाम

जिला : मधेपुरा , अनुमंडल : मधेपुरा, प्रखंड : सिंघेचर

निवास प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या : 040174112021301009

दिनांक : 27/02/2013

प्रमाण-पत्र संख्या : 1009


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री गीता कुमारी Sri/Smt./Kumari Gita Kumari
पिता/पति स्वाम कुमार ठाकुर Father/Husband Shyam Kumar Thakur ग्राम/नगर मबानीपुर
पोस्ट मबानीपुर थाना सिंघेचर प्रखंड सिंघेचर अनुमंडल मधेपुरा जिला मधेपुरा राज्य बिहार के
स्थायी/अस्थायी निवासी हैं।

स्थान :

दिनांक :



हस्ताक्षर



गीता कुमारी



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म-IV

कार्यालय का नाम

जिला: मधेपुरा, अनुमंडल: मधेपुरा, प्रखंड: सिधेश्वर
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

आवेदन संख्या : 040774112021301698

दिनांक : 28/06/2013

प्रमाण-पत्र संख्या : 949

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री गीता कुमारी Sri/Smt./Kumari Gita Kumari पिता/पति/श्री श्याम कुमार ठाकुर Father/Husband/Sri Shyam Kumar Thakur ग्राम/नगर भवानीपुर पोस्ट भवानीपुर प्रखंड सिधेश्वर थाना सिधेश्वर अनुमंडल मधेपुरा जिला मधेपुरा राज्य बिहार सोनार समुदाय के सदस्य है, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 29 पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/सुश्री गीता कुमारी पुत्र/पुत्री श्याम कुमार ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का/की है श्री/श्रीमती/कुमारी गीता कुमारी एवं उनका परिवार गाँव/शहर भवानीपुर पोस्ट ऑफिस भवानीपुर प्रखंड सिधेश्वर थाना सिधेश्वर अनुमंडल मधेपुरा जिला मधेपुरा राज्य बिहार में निवास करते हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

मदनामा
(मुहर सहित)

बिहार राज्य



बाल विकास परियोजना सिंहेश्वर (मधेपुरा)

जिला.....मधेपुरा.....

घ्राप सं०.....415.....

दिनांक.....02/08/14.....

चयन पत्र

1. श्रीमती.....कुमारी उषा.....पति.....शमैरा कुमार झा.....जो
ग्राम.....सुनारीपुर.....पंचायत.....सुनारीपुर.....
पो०.....सुनारीपुर.....की स्थायी निवासी है, क. आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका
के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला.....वाँड नं०-03.....के
आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित).....वाँड नं०-03.....के सेवा क्षेत्र
के लिए दिनांक.....16/06/14.....को आयोजित वाँड की आमसभा में लिये गये निर्णय
के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के
आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध
करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त
सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग
से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया
जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र
पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा
ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए
ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक
कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन
एवं केन्द्र के संचालनार्थ किया गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का नहीं होगा।

Arta Choudhary
बाल विकास परियोजना सहायिका
सिंहेश्वर (मधेपुरा)

बाल विकास परियोजना सहायिका
सिंहेश्वर (मधेपुरा)

कुमारी उषा

ATTESTED

G. D. P. C. Singh...

दिनांक-02/08/14

ग्राम पंचायत-सुनारीपुर-03
सिंहेश्वर, मधेपुरा
(बिहार)

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदय,

मधेपुरा

विषय:- सिंहेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत भवानीपुर वार्ड नं.03 मिनी
ऑगनवाड़ी के सर्वेक्षण पंजी में गड़बड़ी कर सेविका चयन करने के
संबंध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पति श्याम कुमार ठाकुर ग्राम
पंचायत भवानीपुर, वार्ड नं.03 के स्थाई निवासी हूँ । वार्ड नं.03 में मिनी
ऑगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका का चयन का प्रक्रिया चल रहा है । मैं गीता
कुमारी सेविका पद के लिए सिंहेश्वर स्थित बाल विकास परियोजना
पदाधिकारी को आवेदन दी थी दिनांक 12.07.2013 को बाल विकास
कार्यालय सिंहेश्वर से औपबंधिक मेधा सुची निकाला गया जिसमें पिछड़ा वर्ग
बाहुल्य दर्शाया गया है । मैं सोनार जाति से आता हूँ जो कि पिछड़ा वर्ग में
आता है । पिछड़ा वर्ग बाहुल्य के अनुसार मेरा नाम मेधा सुची में प्रथम स्थान
पर है परन्तु दिनांक 22.08.2013 को प्रखण्ड अनुश्रवण समिति के बैठक में
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंहेश्वर के सुपरवाइजर (L.S) एवं
C.D.P.O. ने आपतिकर्ता के गलत प्रभाव में आकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को
अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया गया । जबकि वार्ड नं.03 के सेविका
सर्वेक्षण पंजी में दर्ज यादव-1.9 सोनार-33, भगत-41, गुप्ता-30,
राजपुत-53, ब्रम्हण-131, केवट-80, धानुक-68, तांती-47 तथा मल्लिक-32
की जनसंख्या हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग-213, अति पिछड़ा वर्ग-195,
सामान्य-184 तथा मल्लिक-32 है । सर्वेक्षण पंजी के अनुसार पिछड़ा वर्ग
बाहुल्य है लेकिन आपतिकर्ता द्वारा सर्वेक्षण पंजी में गलत आदमी का नाम

2.

जोड़कर तथा अभियार्थी से गलत ढंग से प्रभावित होकर प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेश्वर, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को बदल कर अति पिछड़ा कर अति पिछड़ा वर्ग के अभियार्थी का चयन करना चाहती है । जबकि सर जमीन पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है । जबकि जिन गलत आदमी का नाम जोड़ा है न तो उसका नाम पूर्व के सर्वेक्षण न ही आपति के दौरान सर्वेक्षण में ही मतदाता सूची वार्ड नं.03 में । साक्ष्य स्वरूप सभी की छाया प्रति संलग्न हैं ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से जाँच या सर्वेक्षण कर सही अभियार्थी का चयन करने की कृपा की जाय । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बना रहूँगी ।

आपका विश्वासभाजिका

गीता कुमारी

ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वार्ड नं.03

सिंहेश्वर, मधेपुरा

(बिहार)

दिनांक-07.09.2013

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय, मदीपुरा।

~~12/12/17~~ 12/12/17

Ann-11

16

विषय:- सिंहेखर प्रखण्ड अर्न्तगत ग्राम पंचायत- मवालीपुर वार्ड नं-03 में श्री आशुबाड़ी केन्द्र के सर्वेक्षण पंजी में सेविका-अल्पना कुमारी द्वारा अवैध सर्वेक्षण पंजी तथा अवैध सर्वेक्षण पंजी को सुविधा- प्रमोद मिश्र, समिति- अंकुसिंह द्वारा स्थापित कर बा.व. विकास परियोजना पदाधिकारी के C.D.P.O. द्वारा अवैध वर्ग के अभियांत्रिकी का चयन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं ब्रज कुमार ठाकुर, पिता-रुद्रेश्वर ठाकुर ग्राम पंचायत- मवालीपुर वार्ड नं-03 के स्थान निवासी हूँ। वार्ड नं-03 में मिनी ग्राम-वही केन्द्र पर सेविका का चयन प्रक्रिया चला रहा हूँ। जिसके प्रती पत्नी-गीता कुमारी सेविका पद के लिए सिंहेखर रिक्त बा.व. विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन ही थी। दिनांक:- 12/04/2013 को बा.व. विकास कार्यालय सिंहेखर से औपबधिक सेवा सुची निकाला गया जिसके पिच्छा वर्ग बा.व. विकास गया था। मैं सोनार जाति से आता हूँ जो पिच्छा वर्ग में आता है। इसलिए मेरी पत्नी- गीता कुमारी का नाम सेवा सुची में प्रथम स्थान पर था। परंतु आपने के दौरान वार्ड की सर्वेक्षण से सेविका से कारागीर गयी। जिसके अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गयी है उसमें दर्ज- पिच्छा वर्ग- 213, उपपिच्छा वर्ग- 195, सामान्य- 184 तथा हरिजन- 32 की जनसंख्या थी लेकिन इस पंजी को बा.व. विकास वि. परियोजना कार्यालय में शुभ कर दिया। सेविका अल्पना कुमारी स्वयं सर्वेक्षण नहीं की और आपत्तिका के द्वारा सर्वेक्षण कर दिये जाते हैं तब उस पर सेविका अल्पना कुमारी, सुविधा- प्रमोद मिश्र तथा समिति अंकुसिंह द्वारा अवैध सर्वेक्षण पंजी को स्थापित कर दिया। जिसके कारण दिनांक 29/08/2013 को प्रखण्ड अनुसूचित समिति के बैठक में बा.व. विकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेखर के सौ. अल्पना कुमारी, सुपरवाइजर (LS) तथा C.D.P.O. ने आपत्तिका के द्वारा प्रभाव में आने पिच्छा वर्ग बा.व. विकास को अतिपिच्छा वर्ग बा.व. विकास घोषित किया। जब इ.व. विकास पर अतिपिच्छा वर्ग की यह बात हुआ है तो S.D.O. साहब मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और अतिपिच्छा वर्ग घोषित किया। मैंने इसके बाद जिला- पदाधिकारी महोदय के जनता दरवार में 29/8/2013 को आवेदन दिये तो आवेदन को D.P.O. महोदय को भेज दिये। जब D.P.O. साहब से पारती रसिद लेकर मिलने गये तो D.P.O. साहब बोले आवेदन देने से काम नहीं चलेगा मेरे महा मुकदमा करो तब मैं उस पर सुनवाई करवा। उसके बाद मैंने सुचना के अधिकार के तहत आपत्तिका के द्वारा किये गये सर्वेक्षण पंजी निकाले जिसके अतिपिच्छा वर्ग में अवैध - 11 आदमी का नाम जोड़ दिया है जिसका न तो पैदाइश है और कुछ की सादी ही चुकी है। लेकिन पिच्छा वर्ग में 18 आदमी का नाम जोड़ दिया है जिसका पैदाइश है और जनसंख्या सूची में नाम है। शुभ रूप से पता चलता है कि अतिपिच्छा वर्ग के अभियांत्रिकी से। लखनऊ लोकर C.D.P.O., सुपरवाइजर, और सेविका ने मिलकर पिच्छा वर्ग बा.व. विकास को बदल कर अतिपिच्छा वर्ग किया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप अपने सर

से जांच या सर्वेक्षण कर सही अभियांत्रिकी का चयन करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान का सहा आभारी बना रहूँगा।

दिनांक: 29/8/2013

आपका विश्वास गोलका
ब्रज कुमार ठाकुर
ग्राम-पंचायत मवालीपुर वार्ड-नं-03
सिंहेखर, मदीपुरा।

ए नै व स च र - 12/ए

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

मधेपुरा ।

विषय:- सिंहेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत भवानीपुर वार्ड नं.03 मिनी
ऑगनवाड़ी के सर्वेक्षण पंजी में सेविका अल्पना कुमारी द्वारा अवैध
सर्वेक्षण पंजी तथा अवैध पंजी को मुखिया प्रमोद मिश्र, समिति अंकु
सिंह के द्वारा सत्यापित कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के
C.D.P.O. द्वारा अवैध वर्ग के अभियार्थी का चयन के संबंध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं श्याम कुमार ठाकुर ग्राम पंचायत
भवानीपुर, वार्ड नं.03 के स्थाई निवासी हूँ । वार्ड नं.03 में मिनी ऑगनवाड़ी
केन्द्र पर सेविका का चयन का प्रक्रिया चल रहा है । जिसमें मेरी पत्नी गीता
कुमारी सेविका पद के लिए सिंहेश्वर स्थित बाल विकास परियोजना
पदाधिकारी को आवेदन दी थी । दिनांक 12.07.2013 को बाल विकास
कार्यालय सिंहेश्वर से औपबधिक मेधा सुची निकाला गया जिसमें पिछड़ा वर्ग
बाहुल्य दर्शाया गया था । मैं सोनार जाति से आता हूँ जो पिछड़ा वर्ग में
आता है । इसलिए मेरे पत्नी गीता कुमारी का नाम मेधा सुची में प्रथम स्थान
पर था परन्तु आपत्ति के दौरान वार्ड की सर्वेक्षण दो सेविकां से करायी
गयी । जिसमें अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गयी है उसमें
दर्ज पिछड़ा वर्ग - 213, अतिपिछड़ा वर्ग-195, सामान्य-184, हरिजन-32 की
जनसंख्या थी लेकिन इस पंजी को बाल विकास परियोजना कार्यालय में गुम
कर दिया । सेविका अल्पना कुमारी स्वयं सर्वेक्षण नहीं की और आपत्तिकर्ता
के द्वारा सर्वेक्षण कर दिये जाने के बाद उसपर सेविका अल्पना कुमारी,
मुखिया प्रमोद मिश्र तथा समिति अंकु सिंह द्वारा अवैध सर्वेक्षण पंजी को

2.

सत्यापित कर दिया । जिसके कारण दिनांक 22.08.13 को प्रखण्ड अनुश्रवण समिति के बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंहेश्वर के सेविका अल्पना कुमारी, सुपरवाइजर L.S. तथा C.D.P.O. ने आपतिकर्ता के गलत प्रभाव में आकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया । जब इस बात पर जिक्र किये कि यह गलत हुआ है तो S.D.O. साहब मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और अतिपिछड़ा वर्ग घोषित किया । मैंने इसके बाद जिलापदाधिकारी महोदय को भेज दिये । D.P.O. साहब से पावति रसिद लेकर मिलने गये तो D.P.O. साहब बोले आवेदन देने से काम नहीं चलेगा मेरे यहाँ मुकदमा करो तब मैं उस पर सुनवाई करूंगा । उसके बाद मैंने सुचना के अधिकार के तहत आपत्ति के दौरान किये गये सर्वेक्षण पंजी निकाले जिसमें अतिपिछड़ा वर्ग में अवैध-11 आदमी का नाम जोड़ दिया है जिसका न तो पैदाइस है और कुछ की सादी हो चुकी है । के लोगों का नाम, के साथ-साथ परिवार के सदस्य गिनती नहीं तथा कुछ लोगों की शादी हो चुकी है । लेकिन पिछड़ा वर्ग में 18 आदमी का नाम छोड़ दिया है जिसका पैदाइस है और मतदाता सूची में नाम है । गुप्त रूप से पता चला है कि अतिपिछड़ा वर्ग के अभियार्थी से 1 लाख रुपये लेकर C.D.P.O. सुपरवाइजर और सेविका ने मिलकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को बदल कर अतिपिछड़ा वर्ग किया है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से जाँच या सर्वेक्षण कर सही अभियार्थी का चयन करने की कृपा की जाय । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बना रहूँगा ।

दिनांक-29.8.2013

आपका विश्वासभाजिका
श्याम कुमार ठाकुर
ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वार्ड नं.03
सिंहेश्वर, मधेपुरा

सेवा में

11/10

~~11/10~~ / 10

(10) (11)

जिला पदाधिकारी मधेदय,

सह अध्यक्ष

जिला स्तरीय अनुभवण समिति, मधेपुरा।

विषय:- सिंदेश्वर प्रखण्ड अर्न्तगत ग्राम-पंचायत- भवानीपुर, वार्ड नं-08
मिनी आगनवाड़ी केन्द्र के सर्वेक्षण पंजी में सेविका अल्पना-
कुमारी द्वारा आपत्ति के दौरान अवैध सर्वेक्षण पंजी बनाकर
तथा अवैध सर्वेक्षण पंजी को मुखिया- प्रमोद मिश्र, समिति- अंकु
सिंह के द्वारा सत्यापित कर बाल-विकास परियोजना पदाधिकारी
द्वारा अवैध वर्ग के अभियार्थी का चयन करने संबंध में।

महाराज,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पीत श्याम कुमार ठाकुर, ग्राम-
पंचायत- भवानीपुर वार्ड नं-03 के स्थाई निवासी हूँ। वार्ड नं-03 में मिनी-आगन-
वाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन प्रक्रिया चल रहा है। मेने सेविका पद के लिए
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंदेश्वर को आवेदन ही थी दिनांक-
12/04/2013 को बाल विकास कार्यालय सिंदेश्वर से औपबंधिक मेधा सुची
निकाला गया जिसमे पिछड़ा वर्ग बाहुल्य दर्शाया गया था। मैं पिछड़ा वर्ग
से आता हूँ। इसलिए मेरा नाम पिछड़ा वर्ग में मेधा सुची पर प्रथम स्थान पर था
लेकिन आपत्ति के दौरान वार्ड की पुनः सर्वेक्षण दो सेविकाओं से करायी
गयी जिसमे अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गयी उसमे-
द्वि- पिछड़ा वर्ग-219, अतिपिछड़ा वर्ग-196, सामान्य-184, हरिजन-32
की जनसंख्या थी लेकिन इस पंजी को बाल विकास परियोजना कार्यालय
में ग्राह्य कर दिया। परन्तु सेविका अल्पना कुमारी स्वयं सर्वेक्षण नहीं
की आपत्तिकर्ता के द्वारा सर्वेक्षण कर दिये जाने के बाद उस अवैध सर्वे-
क्षण पंजी को सेविका अल्पना कुमारी, मुखिया- प्रमोद मिश्र, समिति- अंकु सिंह
द्वारा सत्यापित कर दिया। जिसके कारण दिनांक-22/08/13 को प्रखण्ड अनुभवण
समिति के बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंदेश्वर के L.S.
तथा C.D.P.O. ने आपत्तिकर्ता के गलत प्रभव में आकर S.D.O. साइब
ने पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को बढ़ल कर अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया।
उसके बाद मे सुचना अधिकार के तहत सर्वेक्षण पंजी निकाले जिसमें-11(अवैध)
अवैध अतिपिछड़ा वर्ग के लोगो का नाम, के साथ-साथ परिवार के सदस्य गिनती
में दो (2) अंतर है कि 11 लोगो का नाम जोड़ा है उसमे से कुछ की पैदाईस
नहीं तथा कुछ लोगो की शादी ही चुकी है। जबकि पिछड़ा वर्ग में 18(अवैध)
लोगो का नाम जोड़ने के बाद भी परिवार सदस्य की गिनती में एक को छोड़
कर छोड़ा है। जबकि फिर लोगो का नाम जोड़ा है उसका पैदाईस है, मतदाता
सूची, स. पी. श्व में नाम है। और पुराना सर्वेक्षण पंजी को हट फिनार कर श्व
सूची- समझी साक्षि के तहत इस तरह का कारनामा किया गया है। अगर
पुराना पुराना आवेदन पर बहाली होती है तो पुराना सर्वेक्षण पंजी ही मान्य
होगा न की ऑफिस में बैठकर बनाया गया सर्वेक्षण पंजी होगा। साक्ष्य स्वरुप
छपया प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप अपने क्लर से जाँच
या सर्वेक्षण कर सही वर्ग के अभियार्थी का चयन करने की छपा की जाय।
इसके लिए मैं श्रीमान का सादा अग्रारी बनी रहूँगी।

11/10/13

आपका विश्वास अधिकारी
गीता कुमारी
ग्राम-पंचायत-भवानीपुर-03
[Signature]

11/10
ए ने क स च र - 42/ए

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

सह अध्यक्ष

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, मधेपुरा ।

विषय:- सिंहेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत भवानीपुर वार्ड नं.03 मिनी

ऑगनवाड़ी के सर्वेक्षण पंजी में सेविका अल्पना कुमारी द्वारा आपत्ति के दौरान अवैध सर्वेक्षण पंजी बनाकर तथा अवैध पंजी को मुखिया प्रमोद मिश्र, समिति अंकु सिंह के द्वारा सत्यापित कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अवैध वर्ग के अभियार्थी का चयन करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पति श्याम कुमार ठाकुर ग्राम पंचायत भवानीपुर, वार्ड नं.03 के स्थाई निवासी हूँ । वार्ड नं.03 में मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका का चयन का प्रक्रिया चल रहा है । मैंने सेविका पद के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आवेदन दी थी दिनांक 12.07.2013 को बाल विकास कार्यालय सिंहेश्वर से औपबधिक मेधा सुची निकाला गया जिसमें पिछड़ा वर्ग बाहुल्य दर्शाया गया है । मैं पिछड़ा वर्ग में आता है । इसलिए मेरा नाम पिछड़ा वर्ग में मेधा सुची पर प्रथम स्थान पर है लेकिन आपत्ति के दौरान वार्ड की पुनः सर्वेक्षण दो सेविकाओं से करायी गयी जिसमें अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गयी उसमें दर्ज पिछड़ा वर्ग - 214, अतिपिछड़ा वर्ग-196, सामान्य-184, हरिजन-32 की जनसंख्या थी लेकिन इस पंजी को बाल विकास परियोजना कार्यालय में गुम कर दिया । परन्तु सेविका अल्पना कुमारी स्वयं सर्वेक्षण नहीं की आपत्तिकर्ता के द्वारा सर्वेक्षण कर दिये जाने के बाद उस अवैध सर्वेक्षण पंजी को सेविका अल्पना कुमारी, मुखिया प्रमोद मिश्र, समिति

2.

अंकु सिंह द्वारा सत्यापित कर दिया जिसके कारण दिनांक 22.08.13 को प्रखण्ड अनुश्रवण समिति के बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंहेश्वर के L.S. तथा C.D.P.O. ने आपतिकर्ता के गलत प्रभाव में आकर S.D.O. साहब ने पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को बदल कर अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया। उसके बाद सूचना अधिकार के तहत सर्वेक्षण पंजी निकाले जिसमें 11(ग्यारह) अवैध अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों का नाम, के साथ-साथ परिवार के सदस्य गिनती नहीं तथा कुछ लोगों की शादी हो चुकी है। जबकि पिछड़ा वर्ग में 18 (अठारह) लोगों का नाम छोड़ने के बाद भी परिवार सदस्य की गिनती में एक की कमी कर दर्शाया गया है। जबकि जिन लोगों का नाम छोड़ा है उसका पैदाईस है, मतदाता सूची, ए.पी.एल. में नाम हैं। और पुराना सर्वेक्षण पंजी को दरकिनार कर एक सोची-समझी साजिश के तहत इस तरह का कारनामा किया गया है। अगर पुराना ससुराना आवेदन पर बहाली होती है तो पुराना सर्वेक्षण पंजी ही मान्य होगा न की ऑफिस में बैठकर बनाया गया सर्वेक्षण पंजी होगा। साक्ष्य-स्वरूप छाया प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से जाँच या सर्वेक्षण कर सही वर्ग के अभियार्थी का चयन करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बनी रहूँगी।

आपका विश्वासभाजिका

गीता कुमारी

ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वार्ड नं.03

सिंहेश्वर, मधेपुरा

दिनांक-10.10.13

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 698 दिनांक 02/07/14

1. जन शिकायत क्रमांक 2596

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, वडा-03, विहार्
मधेपुरा

DPO
(ICPS)
3920

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 2310 दिनांक 21/11/13

1. जन शिकायत क्रमांक 4815

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, वडा-03, विहार्
मधेपुरा

सम्बन्धित का
डा० भवानीपुर
डा० भवानीपुर
डा० भवानीपुर

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 857 दिनांक 26/6/14

1. जन शिकायत क्रमांक 2758

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, विहार्
मधेपुरा

DPO ICPS

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 2588 दिनांक 10/10/13

1. जन शिकायत क्रमांक 3919

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, विहार्
मधेपुरा

DPO ICPS

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 666 दिनांक 19/6/14

1. जन शिकायत क्रमांक 2570

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, विहार्
मधेपुरा

DPO
19/06/14

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग)
पावती रसीद

क्रमांक 1448 दिनांक 29-8-13

1. जन शिकायत क्रमांक 2440

2. आवेकक का नाम एवं पता श्रीमती कुमारी
डा० भवानीपुर, विहार्
मधेपुरा

D.P.O
मधेपुरा

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि

सेवा में,
जिला पदाधिकारी महीन्द्र,
सब अधिसूचना
जिला स्तरीय अनुसूचना समिति महीपुरा।

विषय:- सिंहेश्वर प्रकण्ड अर्जनाम ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वरि नच-03 मैनी
आगनवाड़ी केंद्र को सर्वेक्षण पंजी में सेविका-अल्पना कुमारी द्वारा
आपत्ति के समय में अवैध सर्वेक्षण पंजी बनाकर तथा अवैध सर्वेक्षण
पंजी को मुखिया-प्रमोद मिश्र, समिति-अंकु सिंह द्वारा सथापित कर
बाण विकास परियोजना पदाधिकारी के C.D.P.O. द्वारा अवैध वर्ग के
अभिधारियों का चयन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पत्नी इयाम कुमार ठाकुर ग्राम
पंचायत-भवानीपुर, वरि नच-03 के स्थाई निवासी हूँ। वरि नच-03 में मैनी आगनवाड़ी
केंद्र पर सेविका का चयन प्रक्रिया चल रहा है। मैंने सेविका पद के लिए सिंहेश्वर
प्रकण्ड द्वारा सिंकारा परियोजना पदाधिकारी को आवेदन हो शी/दिनांक-12/01/2013
को बाण विकास कार्यालय, सिंहेश्वर से औपचारिक सेवा सुची निकाला गया
जिसमें पिछड़ा वर्ग बाहुल्य दर्शाया गया था। मैं सोनार आपत्ति से आता हूँ
और पिछड़ा वर्ग में आता हूँ। इसलिए मेरा नाम पिछड़ा वर्ग में सेवा सुची पर
प्रथम स्थान पर था। परन्तु आपत्ति के समय में वरि को सर्वेक्षण हो सेविका से
करायो गयी जिसमें अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाया गया है
उसमें हर्ष-पिछड़ा वर्ग-213, अतिपिछड़ा वर्ग-195, सामान्य-194, हरिजन-52
को प्रथम स्थान पर है। किन्तु इस पंजी को बाण विकास परियोजना कार्यालय में
शुभ कर लिया। परन्तु सेविका अल्पना कुमारी अंत्य सर्वेक्षण नहीं को और
आपत्तिकारी के द्वारा सर्वेक्षण कर दिया जाने के बाद उस अवैध सर्वेक्षण पंजी
को सेविका-अल्पना कुमारी, मुखिया-प्रमोद मिश्र, समिति-अंकु सिंह द्वारा सथापित
कर दिया। जिसके कारण दिनांक 23/08/2013 को प्रकण्ड अनुसूचना समिति के
वैकल्प में बाण-विकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेश्वर के सेविका-अल्पना
कुमारी, सुपरवाइजर (L.S.) तथा C.D.P.O. ने आपत्तिकारी के गलत प्रभाव
में आकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य बहल कर अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित
किया। मैंने उसके बाद जिला-पदाधिकारी महीन्द्र के अगला हस्तार में
29/01/2013 को आवेदन दिये। फिर C.P.O. सूब को Speed Post के द्वारा आवेदन मैनी
लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने सुचना के-
आधिकारी के तहत सर्वेक्षण पंजी निकालने जिसमें-11 अवैध आगनवाड़ी वर्ग
के लोगों का नाम छोड़ा है जिसका नाम पंजाब है, यानी सादी ही चुकी है।
जबकि पिछड़ा वर्ग में 18 लोगों का नाम छोड़ा गया है जिसका पेट्टास है
मतदान सुची में नाम और सुची बना कर रखना है। किन्तु सुना है। सत्य-
व्यक्त-किया प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप अपनी स्तर से
जांच या सर्वेक्षण कर सही अभिधारियों का चयन करने की कृपा की जा
इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगी।

2/01/2013

आपका मित्र
गीता कुमारी
ग्राम-पंचायत-भवानीपुर

ए नै क स च र - 13

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय,

सह अध्यक्ष

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, मधेपुरा ।

विषय:- सिंहेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पंचायत भवानीपुर वार्ड नं.03 मिनी
ऑंगनवाड़ी के सर्वेक्षण पंजी में सेविका अल्पना कुमारी द्वारा आपत्ति
के दौरान अवैध सर्वेक्षण पंजी बनाकर तथा अवैध पंजी को मुखिया
प्रमोद मिश्र, समिति अंकु सिंह के द्वारा सत्यापित कर बाल विकास
परियोजना पदाधिकारी के C.D.P.O. द्वारा अवैध वर्ग के
अभियार्थी का चयन करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पति श्याम कुमार ठाकुर ग्राम
पंचायत भवानीपुर, वार्ड नं.03 के स्थाई निवासी हूँ । वार्ड नं.03 में मिनी
ऑंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका का चयन का प्रक्रिया चल रहा है । मैंने सेविका
पद के लिए सिंहेश्वर स्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, को आवेदन
दी थी दिनांक 12.07.2013 को बाल विकास कार्यालय सिंहेश्वर से औपबंधिक
मेधा सुची निकाला गया जिसमें पिछड़ा वर्ग बाहुल्य दर्शाया गया है । मैं
सोनार जाति से आती हूँ । इसलिए मेरा नाम पिछड़ा वर्ग में मेधा सुची पर
प्रथम स्थान पर था । परन्तु आपत्ति के दौरान वार्ड की पुनः सर्वेक्षण दो

2.

सेविका से करायी गयी जिसमें अर्चना कुमारी के द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गयी है उसमें दर्ज पिछड़ा वर्ग - 213, अतिपिछड़ा वर्ग-195, सामान्य-184, हरिजन-32 की जनसंख्या थी लेकिन इस पंजी को बाल विकास परियोजना कार्यालय में गुम कर दिया । परन्तु सेविका अल्पना कुमारी स्वयं सर्वेक्षण नहीं की आपत्तिकर्ता के द्वारा सर्वेक्षण कर दिये जाने के बाद उस अवैध सर्वेक्षण पंजी को सेविका अल्पना कुमारी, मुखिया प्रमोद मिश्र, समिति अंकु सिंह द्वारा सत्यापित कर दिया । जिसके कारण दिनांक 22.08.2013 को प्रखण्ड अनुश्रवण समिति के बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिंहेश्वर के सेविका अल्पना कुमारी, सुपरवाइजर (L.S.) तथा C.D.P.O. ने आपत्तिकर्ता के गलत प्रभाव में आकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य बदल कर अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया । मेरे पति के द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में 29.8.2013 को आवेदन दिये । फर D.P.O. साहब को Speed Post के द्वारा आवेदन भेजे । लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई । उसके बाद मैंने सूचना के अधिकार के तहत सर्वेक्षण पंजी निकाले जिसमें 11(ग्यारह) अवैध अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों का नाम जोड़ा है जिसका न तो पैदाईस है, या तो सादी हो चुकी है । जबकि पिछड़ा वर्ग में 18 लोगों का नाम छोड़कर दिया है जिसका पैदाईस है

3.

मतदाता सूची में नाम और ए.पी.एल. हरा राशन कार्ड बना हुआ है । साक्ष्य स्वरूप छाया प्रति संलग्न है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से जॉच या सर्वेक्षण कर सही वर्ग के अभियार्थी का चयन करने की कृपा की जाय । इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बनी रहूँगी ।

आपका विश्वासभाजिका

गीता कुमारी

ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वार्ड नं.03

सिंहेश्वर, मधेपुरा

दिनांक-04.11.2013

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
कोशी प्रमण्डल-सहरसा.

विषय : जनशिकायत कोषांग के पत्रांक 4855 दिनांक 21-11-13 को श्रीमान् द्वारा दिये गये आदेश का निम्न पदाधिकारी द्वारा अपहेलना करने तथा कार्यालय में बनाये गये अथैय सर्वेक्षण पंजी पर सेविका प्यन करने के सम्बंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पीत श्याम कुमार ठाकुर ग्राम संवायल भ्यानीपुर वार्ड नं० 03 धाना तहसील, जिला मधेपुरा की स्थाई निवासी हूँ तथा मैं वार्ड नं० 03 में मीनी अंगण-वाड़ी केन्द्र में सेविका पद की एक अन्यर्था हूँ। उक्त केन्द्र पर सेविका के प्यन में अक्षमता को लेकर पूर्व में श्रीमान् के जिला बन्ना दरबार में तीन बार लिखित शिकायत आपेदन दी थी जिस आपेदन पर श्रीमान् द्वारा आदेश दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि लेकर जब हम बाल विकास परिषद पदाधिकारी को लहे तो वे बोले कि बहाली हो गया है तथा मैं किसी पदाधिकारी के कहने से तुम्हें बहाल नहीं करूँगा इस बात की जानकारी मैंने मौबार्स मैज के द्वारा 16-6-2014 को जिला पदाधिकारी को दिये तो उधर से जबाब मिला कि सम्पर्क करें, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से जब डी-पी-ओ-साहब को मैज किये तो मुझे कोई जबाब नहीं मिली। जयकि मैंने कहा कि पूर्व में अर्पना कुमारी द्वारा जो सर्वेक्षण पंजी बनाई गई है, उसमें पिछड़ा वर्ग 294 अति पिछड़ा वर्ग 270 तथा अनुप जाति 23 की जनसंख्या थी तथा पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र था तथा मेरा सूची में भी मेरा स्थान प्रथम था लेकिन मेरे अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों के मेल को गलत प्रभाव में आकर बाल विकास परिषद पदाधिकारी, तहसील सर्व प्रमोद मिश्र, मुखिया, समिति अंकु सिंह द्वारा अल्पना कुमारी के द्वारा घर या कार्यालय बैठे गलत सर्वेक्षण पंजी तैयार कर अतिपिछड़ा क्षेत्र बाहुल्य दर्जिया गया है। इस गलत सर्वेक्षण पंजी में 18 पिछड़ा वर्गों के लोगों का नाम छोट दिया है जिसका की जमीन है, घर है, मादाता पूरी, जयकि कार्ड तथा पेदाई है। तथा 13 अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों का नाम बाह्य किया है जिसका न तो पेदाई है और कुछ सड़की की बाधी हो गई है, जिस आधार पर अथैय बहाली किया जा रहा है, तथा श्रीमान् के आदेश का अपहेलना किया जाता रहा है।

(सुप्रीम) पदाधिकारी



WS

तथा मुझे बहाल करने के लिए रूपया मांग किया जा रहा है, मैं गरीब हूँ ।
 कहाँ से रूपया दूंगी, जिस कारण मुझे अब रजत नौकरी नहीं मिल रही है तथा मु
 मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है तथा दिनांक 15-6-2014 को एक आशुभा
 करके सभी व्यक्तियों का हस्ताक्षर करवा लिया है तथा हस्ता होने पर स्थगित
 कर पदाधिकारी चले गए एवं अफाहन जानकारी मिली है कि गलत रूप से बहाली
 कर दी है जिसकी जानकारी मैंने जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में
 दी तो प्राप्ति रसीद पर डी.पी.ओ. साहब लिख दिया गया । जब डी.पी.
 ओ. साहब से मिलने गये तो बोले कि आपेदन देने से काम नहीं चलेगा । मेरे
 यहाँ कैश करो, तब मैं उस पर सुनवाई करूँगा । मैं गरीब हूँ, कैश करने के लिए
 मेरे पास उतना पैसा नहीं है । गुप्त सूचना मिली है कि सेवा इतिहास हुआ कि ठ
 कैश लाठ रुपये लेकर इस तरह का कारनामा किया है । पुराना सर्वेक्षण पंजी को
 दर किनार कर एक सौपी सम्प्री साक्षि के तहत इस तरह का कारनामा किया गया
 जबकि आपेदन लिया गया पुराना सर्वेक्षण पंजी के अनुसार अगर पुराना सर्वेक्षण
 पंजी की मान्यता नहीं मिलता है तो उक्त मीनी अगिलवाही केन्द्र अन्तर्गत जिले
 भी आपेदन लिया गया है, जो निरस्त किया जाय जो सही-सही सर्वेक्षण कराकर
 जो तिरहे से आपेदन लिया जाय, जो न्याय विषय है । अगर पुराना आपेदन
 पर बहाली होती है तो पुराना सर्वेक्षण पंजी ही मान्य होगा न कि अगिला
 में बैठकर बनाया गया सर्वेक्षण पंजी होगा ।

अतः श्रीमान् से निवेदन करती हूँ कि अर्चना कुमारी के द्वारा बनाये
 गये सर्वेक्षण पंजी को देखकर बाल विकास परिषद पदाध सिद्धिचर को सही बहाली
 करने का आदेश देने की कृपा की जाय ताकि मुझे गरीब को क्षाफ मिल सके ।
 इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बनी रहूँगी ।

अनुसूचक :

- 1. श्रीमान् का आदेश दिनांक 21-11-2013 के जनश्रवणायत कोषाधि
 का मुल रसीद की छायाप्रति-
- 2. सौमिका अर्चना कुमारी द्वारा केन्द्र सं० 43 का सर्वेक्षण पंजी का छायाप्रति
- 3. मेधा सुयी की छायाप्रति-
- 4. कार्यालय में बनाया गया सर्वेक्षण पंजी तथा उसमें 18 पिछड़ा लोगों को
 छोड़ने तथा 13 अपेय अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों की छायाप्रति

विषयासमाप्ति
 गीता कुमारी
 पीत श्याम कुमार ठाकुर
 ग्राम मीठ भवानीपुर चार्ड नं० 3
 प्रखंड- सिद्धिचर, जिला मयपुरा
 पिन- 852128

दिनांक- 05/08/2014
 (अर्चना कुमारी)

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा।

विषय :- सिंहेवर प्रखण्ड अर्जगत ग्राम-पंचायत भवानीपुर, वार्ड-नं-03
मिनी आगनवाड़ी के सर्वेक्षण पंजी में गड़बड़ी कर सेविका चयन
करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं गीता कुमारी पति-श्याम कुमार ठगु
ग्राम-पंचायत-भवानीपुर, वार्ड नं-03 के स्याई निवासी हूँ। वार्ड नं-03 में
मिनी आगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका का चयन का प्रक्रिया चल रहा है। मैं
गीता कुमारी सेविका पद के लिए सिंहेवर स्थित बाल विकास परियोजना
पदाधिकारी को आवेदन ही थी। दिनांक-12/07/2013 को बाल विकास-
कार्यालय सिंहेवर से औपबधिक मेधा सुची निकाला गया जिसमें पिछड़ा
वर्ग बाहुल्य दर्शाया गया है। मैं सोनार जाति से आता हूँ जो कि
पिछड़ा वर्ग में आता है। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य के अनुसार मेरा नाम मेधा
सुची में प्रथम स्थान पर है परन्तु दिनांक 22/08/2013 को प्रखण्ड अनुम-
त समिती के बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेवर
के सुपरवाइजर (L.S.) एवं C.D.P.O. ने आपत्तिकर्ता के गलत प्रभाव में
मैं आकर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया
गया। जबकि वार्ड नं-03 के सेविका सर्वेक्षण पंजी में दर्ज-शाद्व-109
सोनार-33, भगत-41, गुप्ता-30, राजपुत-53, ब्रम्हण-131, केकर-80,
धानुक-68, ताती-44 तथा मल्लिक-32 की जनसंख्या है जिसमें
पिछड़ा वर्ग-213, अतिपिछड़ा वर्ग-195, सामान्य-184 तथा मल्लिक-32
सर्वेक्षण पंजी के अनुसार पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है लेकिन आपत्तिकर्ता द्वारा
सर्वेक्षण पंजी में गलत आदमी का नाम जोड़कर तथा अभियार्थी से
गलत दंडा से प्रभावित होकर प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
सिंहेवर, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को बढ़ा कर अतिपिछड़ा कर अतिपिछड़ा
वर्ग के अभियार्थी का चयन करना चाहती है। जबकि सर जयदेव
पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। जबकि जिन गलत आदमी का नाम जोड़ा है
न तो उसका नाम-पुर्व के सर्वेक्षण, न ही आपत्ती के दौरान सर्वेक्षण में न
ही गतदत्ता सुची वार्ड नं-03 में। साक्ष्य स्वरूप सगी की छाया प्रती
संलग्न है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आप अपने स्तर से
जांच या सर्वेक्षण कर सही अभियार्थी का चयन करने को कृपा
की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान का सहा अग्रणी बना रहूंगी।

दिनांक-22/07/2013

आपका किंवदंसी भाजिका
गीता कुमारी
ग्राम-पंचायत-भवानीपुर वार्ड-नं-03
सिंहेवर, मधेपुरा
(विहार)

It is therefore prayer that your lordship may graciously be please to admit this writ application, issue Rule NISI calling upon the respondents as to why not the relief as preyed in paragraph 1 of this writ petition may not be allowed in favour of the petitioner at the time of admission stage.

AND/OR

It is further prayed that during the pendency of the aforesaid writ may kindly stay the impugned order vide Annexure 10 being letter no. 415 dated 02/08/2014 till the disposal of the writ application.

AND/OR

Pass such other order or orders as your lordship may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case

1
24

AND/OR

And for this kind act the petitioner shall ever pray.

1
25

No. 43, whereas the petitioner being the bona fide candidate she has not been appointed by the concern respondent particularly the Respondent No. 5, While the name of the petitioner has been appeared in the final merit list at serial No. 1 of the obtaining higher marks and after committed irregularity during the course of selection process.

For further prayer of the petitioner in the writ petition during the pendency of the writ petition may kindly stay the impugned letter No. 415 dated 02/08/2014 vide Annexure - 9, issued by the child development project officer district - Madhepura.

For further prayer of the petitioner in the writ petition may kindly directed the respondent specially the respondent No. 5 the Child Development Officer, District - Madhepura, to immediately appointed the

petitioner on the post of Anganbadi Sevika because the name of the petitioner has been appeared in the final merit list at serial No. 1 because the petitioner has obtained the higher marks in spite of that the petitioner has not been appointed.

For further any other relief /reliefs, order/orders, direction/directions, may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

Relevant Dates and Events

<u>S.No.</u>	<u>Date</u>	<u>Events</u>
1.	16/06/2013	An advertisement was published in daily Hindustan News paper dated 16/06/2013 which was published by the office of district programme officer, Madhepura as well as the District Magistrate Cum Collector, Madhepura for appointment on the post of Anaganbadi Sevika with some statutory provision.
2.	24/06/2013	the petitioner has apply for the post of

08.	Annexure : 7	A photo copy / True type copy of bachelor of arts marks sheet issued by B.N. Mandal University, Lahu Nagar, Madhepura	36
09.	Annexure : 8	A photo copy / True type copy of the final merit list, prepared by respondent No. 5 dated 12/07/2013	37
10.	Annexure : 9	A photo copy / True type copy of letter, vide letter No. 415 dated 02/08/2014 issued Respondent No. 5.	38
11.	Annexure : 10	A photo copy / true typed copy of the Representation dated 07/09/2013 before D.P.O., Madhepura	39
12.	Annexure : 11 and 11A	A photo copy / true typed copy of the Representation dated 29/08/2013 and 10/10/2013 before DM. Cum Collector Madhepura	40-42
13.	Annexure : 12	A photo copy / true typed copy of the Representation dated 21/11/2013 before Collector Madhepura	43
14.	Annexure : 13	A photo copy / true typed copy of the Representation dated 05/08/2014 before Divisional Commissioner, Koshi Division, Saharsa	44-45
15.	VAKALATNAMA		